कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः–2743 /FP/UK/ROAD/41009/2019 दिनॉकः देहरादून 31 मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून ।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.5252 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 09.12.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की EDS 09.12.2022 के क्रम में चाही गयी सूचना वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2268/12–1 दिनांक 20.05.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no 2, submitted that village is not connected with the road however on perusal of KML file it appears that village is already connected and another connectivity (proposed road) with enumeration of 75 tress is not justified. State government is requested to submit the details of the routes nearest to the existing routes to village.	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम गोरूण चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के कि0मी0 24 से लगभग 1.50 कि0मी0 की पैदल दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की अपलोड की गयी के0एम0एल0 फाइल में ग्राम जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, जो कि पैदल मार्ग से जुड़ा है। मार्ग में 0–10 व्यास वर्ग के 14 पेड़ों को पृथक कर अब कुल प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 59 होती है। मार्ग पर 7.00 मीटर चौड़ाई में ही पेड़ों की गणना की गयी है, जो इससे कम होना सम्भव नहीं है।
2	State govt. is also requested to clarify considering the distance of the existing routes from the village if the proposed road meets the IRC norms.	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन की मार्ग नीति के अनुरूप पत्रांक 8167/III(2)/18–15 (सा0)/2018, दिनांक 13.12.2018 (**प्रति संलग्न–01**) के बिन्दु सं0–04 द्वारा स्पष्ट से निर्देशित किया गया है कि उत्तराखण्ड की विषम भोगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सड़क से 100 मीटर

		ऊर्ध्वाधर दूरी से कम दूरी के गांव को मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ माना जायेगा, जबकि ग्राम गोरूण एवं पोखरी की दूरी 150 से 200 मीटर तक हैं इसलिए उक्त गांव को सड़क से संयोजकता हेतु अलग से मार्ग की आवश्यकता है।
3	In reply no3, no correction made. state govt. is again requested to upload the digital map and SoI Toposheet map of the CA area metioning the name of the selected CA area.	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि सी0ए0 का डिजिटल मैप, सी0ए0 का क्षेत्रफल एवं नाम सहित Part-I के additional information documents में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक–02)
4	In reply to point no 4 only geologist report found uploaded. Administrative approval is not found uploaded yet which is required to be uploaded.	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति याचक विभाग द्वारा Part-I के Additional information documents में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक–03)
5	In reply to point no 5. instead of providing the dated on tree enumeration list of trees has been removed from part-II. State Govt, is requested to upload the tree enumeration list mentioning the date of tree counting duly authenticated by the concerned authority.	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षों की गणना सूची में निरीक्षण तिथि अंकि कर वन संरक्षक कार्यालय द्वारा Part-II के Additional information documents में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक–04)

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

पत्रांक 2743 /FP/UK/ROAD/41009/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2268/12–1 दिनांक 20.05.2023 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारीख उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

31/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।